

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत : उपखण्ड अधिकारी  
गुलाव पेठी

मुकाम : रावतभाटा

बनाम

भूमिधारी तख्तवाल

सं. मुकदमा

सं. ५७

नं०

२७

सन् २०२५

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
<p>06 7/5/25</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षलारान उपस्थित। पैरोकार सरकार ने न्यायालय में उपस्थित हो जवान प्रस्तुत करने से इच्छा कर पत्रावली के NO - objection प्रस्तुत किया। वकील शर्मा ने आज ही वहन करे का निवेदन कर प्रा.पत्र द्वारा -128 पर वहन आवेदन सुनार। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील शर्मा की वहन परमन किया गया। प्रा.पत्र द्वारा -128 व पत्रावली के शामिल दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। वकील शर्मा द्वारा वहन के दौरान की गई फील्ड से हम संतुष्ट हैं। शर्मा का प्रा.पत्र द्वारा -128 आवत पत्रावली का स्वीकार योग्य पाया जाता है अतः वकील शर्मा का प्रा.पत्र स्वीकार योग्य पाए जाने के बाद निर्णय प्रयत्न के बिना आज डकुमेंट न्यायालय की इजलास में सुनाया गया। पत्रावली सुनार हो पर्स रजिस्टर के कर किया जाकर शामिल पत्रावली हो।</p>	<p>No objection 7/5/25</p>

उपखण्ड अधिकारी  
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

